

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी 2017—पौष 27, शक 1938

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. एफ-48-5-2013-बीस-3.—मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 16(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, डॉ. भागीरथ कुमारावत, ग्राम बरूड़ जिला-पश्चिम निमाड़ मध्यप्रदेश को माध्यमिक शिक्षा मण्डल में उप सभापति (उपाध्यक्ष) के पद पर मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में नामनिर्देशन संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्त करता है।

(2) उप सभापति (उपाध्यक्ष) के कर्तव्य एवं सेवाशर्ते मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 16(2) व 16(3) के अनुसार रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उपसचिव।